न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 155/2022

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/367

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
राजस्थान सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (कृषि प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली जिला पाली		वाहन चालक मुकेश/मदनलाल माली निवासी गावं मथानिया पुलिस थाना मथानिया जिला जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8000020752 वाहन संख्या आरजे 19 जीजी 6848

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955" सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985"

—: निर्णय :—

दिनांक – 28/03/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 में अप्रार्थी से जब्तशुदा उर्वरक (50 किलो के 199 कट्टे मय तीन कट्टे खुले हुए) को नमुने विश्लेषण उपरांत राज्यसात करने एवं निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजुद वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने एवं प्रार्थी भी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2022 को सोनाई मांझी के किसान द्वारा सूचना दिये जाने पर मन उर्वरक निरीक्षक एव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार पाली एवं पुलिस थाना सदर थानाधिकारी के साथ सोनाई मांझी मौके पर पहुंचे, जहां पर उपस्थित किसान राजूसिंह, श्रवणदास, घीसाराम, नेमाराम एवं भूरसिंह इत्यादि ने अवगत कराया कि एक व्यक्ति वाहन चालक मुकेश माली डीएपी उर्वरक के नकली कट्टे अवैध रूप से वाहन संख्या आरजे 19 जीजी 6848 में बेच रहा है। जिस पर प्रार्थी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 28(1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन चालक मुकेश को मय वाहन सोनाई मांझी में पकडा एवं वाहन चालक मुकेश से पुछताछ करने पर अपना नाम मुकेश/मदनलाल माली निवासी गांव मथानिया पुलिस थाना मथानिया जिला जोधपुर बताया एवं जब्तशुदा वाहन स्वयं का होना बताया। जब्तशुदा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अन्दर IFFCO कम्पनी काडला गांधीधाम गुजरात 370201 द्वारा निर्मित उर्वरकों से कट्टे पाये गये, जो संदेहजनक होने से बिक्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर पाली (राज.)

संबंधी बिल्टी व दस्तावेज मांगने पर बिल्टी व दस्तावेज नहीं होना बताया। जब्तशुदा उर्वरक का तत्कालीन कृषि अधिकारी ने प्रयोगशाला में जांच हेतु मौके पर से नमुना लिया जिसका नमुना कोड आरटीजी/एफ/ 2022–23/01 है, डीएपी नकली होने के सन्देह से वाहन चालक उक्त कृत्य करने से उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना सदर पाली में प्राथमिकी दर्ज करवायी। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक नमुना संख्या आरटीजी/एफ/2022–23/01 की स्टेट फर्टिलाईजर क्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेट्री जोधपुर की रिपोर्ट संख्या 1716–1718 दिनांक 12.10.2022 के अनुसार The sample not according to specification and fails in Total N(NH4-N), Available P205 and water soluble P_2o_5, पाया गया जो अवमानक स्तर/नकली होने से कृषि योग्य नहीं है, जिसका नियमानुसार निस्तारण करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक (50 किलो के 199 कट्टे मय तीन कट्टे खुले हुए) को राज्यसात करने एवं नियमानुसार निस्तारण करने बाबत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.09.2022 को उर्वरक की अवैध परिवहन/बेचान की जानकारी होने पर प्रार्थी रेखा तीरगर उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय निदेशक कृषि विस्तार पाली मय पुलिस थानाधिकारी सदर पाली के साथ सोनाई मांझी पहुंचकर मौतबिरान राजुसिंह पुत्र शैतानसिंह, श्रवणदास पुत्र केवलदास वैष्णव, घीसाराम पुत्र उदाराम सिरवी, नैमाराम पुत्र मांगीलाल सिरवी एवं भूरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजुपत की निशानदेही पर वाहन मालिक/चालक मुकेश पुत्र मदनलाल मय वाहन संख्या आरजे 19 जीजी 6848 को जब्त किया, जो बिना बिल्टी एवं बिना आवश्यक दस्तावेज के उर्वरक का बेचान/वितरण/परिवहन करते हुये पाया गया। उक्त उर्वरक के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा से होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक (50 किलो के 199 कट्टे मय तीन कट्टे खुले हुए) अपने कब्जे में लिया जाकर जब्त उर्वरक के नकली होने के सन्देह पर वास्ते जांच हेतु नमुना लेकर स्टेट फर्टिलाईजर क्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेट्री जोधपुर भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार The sample not according to specification and fails in Total N(NH4-N), Available P205 and water soluble P_2o_5.पाया गया, जो अवमानक स्तर/नकली होने से कृषि योग्य नहीं पाया गया जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक उत्पाद के उर्वरक नहीं होने के संदेह व परिवहन के दस्तावेज नहीं होने पर उक्त उर्वरक का बेचान/वितरण/परिवहन रूकवाया जाकर उर्वरक को कब्जे में लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति, हेमावास, तहसील पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7, सहपठित उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1985 की धारा 7, 8, 19 का उल्लंघन किये जाने के कारण मौके पर ही की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने उक्त उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक/नकली उर्वरक का बैचान/वितरण/विनिमय किये जाने के कारण जब्तसुदा उर्वरक का कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 7, 8, 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किये जाने से उक्त उर्वरक (50 किलो के 199 कट्टे मय तीन कट्टे खुले हुए) को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त उर्वरक (50 किलो के 199 कट्टे मय तीन कट्टे खुले हुए) नकली/अवमानक स्तर का होने एंव कृषि योग्य न होने के कारण उसका नियमानुसार निस्तारण करे एवं की गयी कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली को माफिक निर्णय पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)